



**कार्यालय वन मंडल अधिकारी,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

**खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़ जिला—खैरागढ़—छुईखदान—गंडई (छ.ग.)**

दूरभाष: 07820 — 234278

ई—मेल khairagarhdfo@yahoo.com

क्र./तक.अधि./न.क्र.2-11/454  
प्रति,

खैरागढ़, दिनांक 10/04/2023

E.D./2023  
11-04-2023

मुख्य वन संरक्षक,  
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

**विषय :-**

खैरागढ़—छुईखदान—गंडई जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत 18 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने की अनुमति हेतु गैर वानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन का प्रस्ताव बाबत।

पंजीयन क्रमांक— FP/CG/Other/154619/2022

**संदर्भ :-**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू—प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध/एल.एम.—115—934 / 2141 दिनांक 19.09.2022

—0000—

निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना), गेल ईपिडया लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य के लिये विभिन्न वनमंडलों की कुल 15.690 है। वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के निर्देशों के तहत नवीन चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ—01 से — तक) आवेदक संस्थान द्वारा 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य हेतु वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि की मांग की गई है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया है कि माँग की गई वन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे. मे.)	नारंगी वनभूमि का रकबा (हे. मे.)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. मे.)	योग रकबा (हे. मे.)
1	खैरागढ़	4.687	—	0.516	5.203
2	बिलासपुर	—	—	0.019	0.019
3	कोरबा	—	2.087	—	2.087
4	जाँजगीर—चांपा	3.928	—	0.877	4.805
5	रायगढ़	0.949	—	2.627	3.576
	योग —	9.564	2.087	4.039	15.690

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 02 से — तक) — उक्त प्रकरण के लिये रजिस्ट्रेशन क्रमांक — FP/CG/Other/154619/2022 आवंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 35,000/- का डी.डी. जमा कराया गया है जिसे वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाता 8443—106 व्यक्तिगत जमा में चालान क्रमांक 17 दिनांक 29.09.2022 के माध्यम से जमा कराया गया है।

**बिक्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 03 से – तक) –** प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पार्इप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य में निम्नानुसार वन/नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही हैः—

क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे. में)	नारंगी वनभूमि का रकबा (हे. में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)	योग रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़	4.687	–	0.516	5.203
2	बिलासपुर	–	–	0.019	0.019
3	कोरबा	–	2.087	–	2.087
4	जॉजगीर–चांपा	3.928	–	0.877	4.805
5	रायगढ़	0.949	–	2.627	3.576
	योग –	9.564	2.087	4.039	15.690

उपरोक्त वनमंडलवार मांग की गई भूमि के लिये आवेदक संस्थान द्वारा पृथक—पृथक डी.जी.पी. एस. सर्वे कार्य कराया गया है। वनमंडलवार प्रस्ताव के साथ पृथक—पृथक सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।

**बिक्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 04 से 05 तक) –** प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पार्इप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य में प्रभावित हो रहे गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वनमंडल का नाम	गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़	161.375
2	बिलासपुर	77.225
3	कोरबा	21.269
4	जॉजगीर–चांपा	130.543
5	रायगढ़	124.676
6	बलौदा बाजार	101.627
	योग –	616.715

**बिक्र. 5. प्रत्यावर्त्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 15000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 06 से 16 तक) –** प्रस्तावित वन क्षेत्र से संबंधित वन आवरण मानचित्र एफ.एम.आई.एस. द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे संबंधित वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। मानचित्र संलग्न है।

**बिक्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 17 से – तक) –** प्रस्तावित वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के वनक्षेत्र का इन्डेक्स मानचित्र संलग्न है।

**बिक्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (पृष्ठ 18 से 27 तक) –** प्रपत्र-IV में परियोजना की प्रशासकीय लागत 1446.89 करोड़ रु. है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है वन भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इस हेतु संबंधित प्रपत्र-IV संलग्न है।

**बिक्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (पृष्ठ 28 से – तक) –** प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।

**बिक्र. 9.** वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से – तक) – उक्त प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रायपुर वनमंडल के अधिन समतुल्य शासकीय राजस्व भूमि ग्राम भलेरा, प.हन्त. 62, खसरा नं. 926 की 18.000 हे. प्रस्तावित की गई है। इस हेतु आवेदक संस्थान द्वारा 10 वर्षीय सिचिंत वृक्षारोपण योजना के अनुसार निर्धारित की जाने वाली राशि जमा करने संबंधी वचन पत्र दिया गया है जो संलग्न है।

**बिक्र. 10.** न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से – तक) – यूजर एजेंसी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बिक्र. 11.** पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (पृष्ठ 31 से – तक) – इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान का पत्र संलग्न है।

**बिक्र. 12.** वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 32 से 36 तक) – प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ. एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही 15.690 हे. वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में वनमंडलवार निम्नानुसार वृक्षों का विदोहन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वनमंडलवार वृक्ष विदोहन का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	भूमि का प्रकार	वनमंडलवार विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या					
		खेरागढ़	बिलासपुर	कोरबा	जांजगीर-चांपा	रायगढ़	योग
1	वनभूमि	1271	–	–	237 एवं 1 नग बांसभिरा	371	1879
2	नारंगी वनभूमि	–	–	–	–	–	–
3	राजस्व वनभूमि	21	–	–	–	–	21
	योग	1292	–	–	237	371	1900

उपरोक्त वनमंडलों में प्रभावित हो रहे वृक्षों की वृक्ष विदोहन योजना वनमंडलवार पृथक-पृथक प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

**बिक्र. 13.** कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 37 से 39 तक) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम 2003 के उपनियम पार्ट बी 12 तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.08.2017 के प्रावधानों के तहत प्रकरण 20.000 हे. से कम का होने के कारण प्रस्ताव में कास्ट बेनिफिट एनालाईसिस प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बिक्र. 14.** – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि/राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 40 से 41 तक) – प्रकरण में मांग की गई गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि एवं राजस्व वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमंडल का नाम	गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का रक्कम (हे. में)	राजस्व वनभूमि का रक्कम (हे. में)
1	खेरागढ़	161.375	0.516
2	बिलासपुर	77.225	0.019
3	कोरबा	21.269	–
4	जांजगीर-चांपा	130.543	0.877
5	रायगढ़	124.676	2.627
6	बलौदा बाजार	101.627	–
	योग –	616.715	4.039

**बिक्र. 15.** गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 42 से – तक) – संलग्न है।

**बिक्र. 16.** स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 43 से 66 तक) – संलग्न है।

**बिक्र. 17.** वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 67 से 68 तक) – संलग्न है।

**बि.क्र. 18.** अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 69 से – तक) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 19.** अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 70 से – तक) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 20.** अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 71 से – तक) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 21.** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 72 से 74 तक) – आवश्यकता नहीं है। तथा रायपुर वनमंडल में प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 22.** कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 75 से – तक) – आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 23.** रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 76 से – तक) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 24.** माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 77 से – तक) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 25.** व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 78 से – तक) – यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति / परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 26.** वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग I से V तक एवं प्रपत्र 3 से 6) (प्रस्ताव पृष्ठ 79 से 97 तक) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के संबंध में भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार खैरागढ़ वनमंडल से संबंधित प्रपत्र भाग—I से भाग—V तक तथा प्रपत्र 3 से 6 तैयार कर संलग्न है।

**बि.क्र. 27.** ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 98 से – तक) – प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 28.** संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से – तक) – भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 28.06.2022 जो वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित है, के नियम 6 (ख) (ii) के प्रावधानों के तहत अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

**बि.क्र. 29.** जिले की कुल वन भूमि (रकबा वर्ग कि.मी. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 100 से – तक) – प्रकरण में प्रभावित हो रहे वनमंडल से संबंधित जिलों के कुल वनभूमि का रकबा निम्नानुसार है :-

क्र.	वनमंडल का नाम	जिले के वनभूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)
1	खैरागढ़	1305.51
2	बिलासपुर	783.36
3	कोरबा	2136.47
4	जॉजगीर–चांपा	2.50
5	रायगढ़	1529.59
	योग –	<b>5757.43</b>

**बिक्र. 30.** व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा है. में (प्रस्ताव पृष्ठ 101 से – तक) – उक्त अधिनियम के अंतर्गत वनमंडलवार स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़	17	219.242
2	बिलासपुर	—	723.378
3	कोरबा	—	1098.802
4	जाँजगीर–चांपा	10	476.539
5	रायगढ़	69	3829.683

**बिक्र. 31.** व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा है. में (प्रस्ताव पृष्ठ 102 से – तक) – स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी के अंतर्गत व्यपवर्तीत वनभूमि के रकबे का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़	—	—
2	बिलासपुर	—	—
3	कोरबा	1	9.534
4	जाँजगीर–चांपा	1	0.387
5	रायगढ़	—	—

**बिक्र. 32.** प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 103 से – तक) – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर स्थित नहीं है। पत्रक संलग्न है।

**बिक्र. 33.** 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 104 से – तक) – खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है। पत्रक संलग्न है।

**बिक्र. 34.** वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 105 से – तक) – भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 28.06.2022 जो वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित है, के नियम 6 (ख) (ii) के प्रावधानों के तहत अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात संबंधित कलेक्टर का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

**बिक्र. 35.** राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 106 से 108 तक) – प्रकरण में वनमंडलवार प्रभावित हो रही राजस्व वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है इस हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र वनमंडलवार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

क्र.	वनमंडल का नाम	जिले के वनभूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)
1	खैरागढ़	0.516
2	बिलासपुर	0.019
3	कोरबा	—
4	जाँजगीर–चांपा	0.877
5	रायगढ़	2.627
	योग –	4.039

**बिक्र. 36.** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 109 से 110 तक) – यूजर एजेंसी द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है। आवेदित वनभूमि के साईट-क्वालिटी के आधार पर आवेदक संस्थान से निम्नानुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि लिया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	वनमंडल का नाम	वनभूमि का रकबा (हे. में)	नारंगी वनभूमि का रकबा (हे. में)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)	योग रकबा (हे. में)	दर प्रति हे.	राशि
1	खैरागढ़	4.687	—	0.516	5.203	1228590	6392354.00
2	बिलासपुर	—	—	0.019	0.019	अप्राप्त	अप्राप्त
3	कोरबा	—	2.087	—	2.087	अप्राप्त	अप्राप्त
4	जाँजगीर-चांपा	3.928	—	0.877	4.805	अप्राप्त	अप्राप्त
5	रायगढ़	0.949	—	2.627	3.576	अप्राप्त	अप्राप्त
	योग —	9.564	2.087	4.039	15.690		

**बिक्र. 37.** Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 111 से – तक) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

**बिक्र. 38.** A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 112 से – तक) – Soil Productivity Report संलग्न है।

**बिक्र. 39.** परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 113 से – तक) – वन भूमि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बिक्र. 40.** Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 114 से – तक) – आवेदित वनभूमि में प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कार्य यथा निर्माण कार्य/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

**बिक्र. 41.** पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 115 से 116 तक) – प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 35000/- रुपये का डी.डी. जमा कराया गया है। जिसे चालान क्रमांक 17 दिनांक 29.09.2022 द्वारा वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाता 8443-106 व्यक्तिगत जमा में जमा कराया गया है। प्रति संलग्न है।

**बिक्र. 42.** वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 117 से – तक) प्रकरण पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन से संबंधित है। इसलिये वन्यप्राणी परियोजना से संबंधित अभिमत की आवश्यक नहीं है।

**बिक्र. 43.** विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 118 से – तक) – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

**बिक्र. 44.** प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 119 से 120 तक) –

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) पर अपलोड किया गया है।


प्रकरण में प्रभावित हो रही 15.690 हैं। वनभूमि/नारंगी वनभूमि/राजस्व वनभूमि के डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट की प्रति/प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षतिपूर्ति रोपण से संबंधित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट की प्रति तथा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर से प्राप्त वन आवरण मानचित्र की प्रति वनमंडलवार पृथक—पृथक संलग्न की जा रही है।

अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण आधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विषयांकित प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु रकम 15.690 है। वन/नारंगी वन/राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है। अनुशंसा उपरांत प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :-

1. प्रस्ताव 04 प्रतियों में
2. व्यपवर्तन से संबंधित डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट
3. क्षतिपूर्ति रोपण से संबंधित डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट
4. एफ.एम.आई.एस. से प्राप्त वन आवरण मानचित्र मूल प्रति
5. भाग—2
6. टाईम लाईन

  
वनमंडल अधिकारी

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
  
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़


पु.क्र./तक.अधि./न.क्र.2-11/455

खैरागढ़, दिनांक 10/04/2023

प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू—प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (2) मुख्य वन संरक्षक, रायपुर एवं बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- (3) वनमंडल अधिकारी बिलासपुर/कोरबा/जांजगीर—चांपा एवं रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- (4) आवेदनकर्ता उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल ईण्डिया लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
वनमंडल अधिकारी

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
  
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़